तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रमेश झंवर बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 106/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रमेश झंवर पुत्र अमरचंद झंवर माहेश्वरी निवासी खाण्डाफलसा, चढवा गली, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.04.2019 में उसके द्वारा (1) ग्राम सांगरिया पटवार हलका झालामण्ड भू अभिलेख हलका जोधपुर तह0 व जिला जोधपुर राजस्थान के खसरा नं. 374 की नवीनतम जमाबंदी जिसमें प्लॉट नं. 04 से 17 की विगत अभिवर्णित है, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	